>

Title: Issue regarding release of persons convicted in assassination of former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi.

श्री शरीफुद्दीन शारिक : चेयरमैन साहब, हाल ही में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें राजीव गांधी के कातिलों को सज़ा-ए-मौत के बजाय उनकी सज़ा उम्र कैद में मुकर्रर की गई है। सारी कौम ने सुप्रीम कोर्ट की सज़ा को सुना लेकिन इसी जुर्म में, इससे कम जुर्म में अफ़ज़ल गुरु भी जेल में था। कोर्ट ने भी कहा कि उसका इसमें बराहे रास्त कोई हाथ नहीं था। उसको सज़ा-ए-मौत दी गई जल्दी जल्दी में और हम समझते हैं कि इस तरह हिन्दुस्तान के शराफ़त के चेहरे को मसक किया गया है। क्या हो जाता अगर अफ़ज़ल गुरु के साथ भी यही सुलूक किया जाता जो दूसरे कातिलों के साथ हुआ है। इस तरह कश्मीर के लोगों को कौन पैगाम सरकार ने दिया है? उनके लिए कौन रास्ता चुना है?...(व्यवधान) अगर नाराज़गियां बढ़ती हैं तो सरकारी गलत कार्यों की वजह से बढ़ती हैं और मैं हुकूमत हिन्दुस्तान से यह पूछना चाहूंगा कि अफ़ज़ल गुरू का इतना ज्यादा कुसूर क्या था कि उसको चटो-पट फांसी पर लटकाया गया और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ़ बहम किया और अफ़ज़ल गुरू और उसके ख़ानदान और कश्मीरी के साथ बेइंसाफ़ी हुई, इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूं।...(व्यवधान)